## आपराधिक अपील संख्या 142 वर्ष 1994 (आर०)

(पंचम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग के द्वारा सत्र वाद संख्या 569 वर्ष 1993 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 26.07.1994 और दण्डादेश दिनांक 27.07.1994 से उद्भूत)

- 1. तेजा गोप, पिता—लेदू गोप
- 2. बिनु गोप, पिता-तेजा गोप
- 3. लखन गोप, पिता-तेजा गोप
- 4. कृष्णा गोप, पिता–तेजा गोप

सभी निवासी-ग्राम खरांती, थाना-बरकागाँव, जिला-हजारीबाग

...... अपीलकर्तागण

बनाम्

बिहार राज्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित-

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

अपीलकर्ता की ओर से- श्री हेमन्त कुमार सिकरवार, अधिवक्ता

श्री शौर्या, अधिवक्ता

श्री मुकेश सुमन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य की ओर से–श्री गौरी शंकर प्रसाद, ए० पी० पी०

## निर्णय

## दीपक रोशन, न्याय0

यह अपील पंचम् सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र वाद संख्या 569 वर्ष 1993 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 26.07.1994 एवं दण्डादेश के आदेश दिनांक 27.07.1994 के विरूद्ध है जिसमें अपीलकर्ताओं को भा0 दं0 वि0 की धारा 302/34 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

- 2. दिनांक 02.09.1994 के आदेश के द्वारा, अपीलकर्ता संख्या 1 तेजा गोप एवं अपीलकर्ता संख्या 2 बिनु गोप को इस न्यायालय के द्वारा जमानत प्रदान की गई थी जबिक अपीलकर्ता संख्या 3 लखन गोप एवं अपीलकर्ता संख्या 4 कृष्णा गोप को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.04.1995 को जमानत प्रदान की गई थी।
- 3. इस अपील के लिम्बत रहने के दौरान, अपीलकर्ता संख्या 1 तेजा गोप की मृत्यु हो गई। तद्नुसार अपीलकर्ता संख्या 1 तेजा गोप के विरूद्ध यह आपराधिक अपील समाप्त हो गया।
- 4. अभियोजन का कथन, जैसा कि सूचक परबतिया देवी (पी0 डब्ल्यू0 3) के फर्दब्यान में बताया गया है, यह है कि घटना की तिथि को वह अपने पित गणेश भुईयां (मृतक) और टीकन प्रजापित के साथ अपने पुत्र को मकई एवं चावल देने सौंदा कोयला खदान जा रही थी। यह भी बतलाया गया कि जब

वे मालडीह ग्राम में बाँध के निकट पहुँचे तो अपीलकर्ता अपने हाथ में टांगी एवं लाठी लिए वहाँ पर बैठा हुआ था। अभियुक्त अपीलकर्ता, कृष्णा गोप एवं लखन गोप ने उसके पित गणेश भुईयां को टांगी से मारा और अपीलकर्ता बिनु गोप ने अभियुक्त अपीलकर्ता तेजा गोप एवं बलदेव गोप के उकसाने पर उसे लाठी से मारा, जो प्रोत्साहित कर रहे थे कि गणेश भुईयां (मृतक) मुकदमें को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए उसकी हत्या कर देनी चाहिए। सूचक ने आगे यह कहा है कि वह घटना की सूचना अपने पुत्र मिठु राम (पी० डब्ल्यू० 4) को दिया जो शाम को आया और उसके बाद वह अपने पुत्र के साथ पुलिस स्टेशन गई और 9:00 अपराहन् को फर्दब्यान दर्ज कराई। उसके बाद औपचारिक प्राथमिकी बरकागाँव थाना काण्ड संख्या 130 / 91 दर्ज किया गया।

- 5. अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 26.11.1991 को आरोप पत्र समर्पित किया एवं उसके बाद संज्ञान लिया गया एवं सत्र न्यायाधीश को दौरा सुपुर्द किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत सभी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठित किया गया और अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण की माँग की। यह वर्णन करना आवश्यक है कि एक अभियुक्त बलदेव गोप को फरार घोषित किया गया और उसके विचारण को शेष अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठित करने के पूर्व पृथक किया गया था।
- 6. अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन ने कुल छः साक्षियों का परीक्षण कराया है जिसमें से अ0 सा0 संख्या 3 स्वयं सूचक हैं। सूचक का पुत्र मिठु राम अ0 सा0 संख्या 4 है, चिकित्सक जिसने मृत शरीर का अन्त्य परीक्षण किया, अ0 सा0 संख्या 5 है और अनुसंधान पदाधिकारी ने स्वयं को अ0 सा0 संख्या 6 के रूप में परीक्षण कराया है, अ0 सा0 संख्या 1 एवं 2 जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहा है, विरोधी हो गए। उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियोजन ने साक्ष्य में कुछ दस्तावेज प्रमाणित किया है। सफाई पक्ष द्वारा सामान्य रूप से घटना से इन्कार किया है।
- 7. सूचक अ0 सा0 संख्या 3 ने अपने परीक्षण में कही है कि घटना के दिन वह अपने पुत्र को मकई और चावलदेने जा रही थी जो सौंदा कोयला खदान में काम करता था। उसके पित गणेश भुईयां एवं टिकन प्रजापित उसके साथ थे। उसने आगे कहा है कि जब वे ग्राम मालडीह के बाँध के निकट पहुँचे तो अभियुक्त जो अपने हाथ में लाठी एवं टांगी लिए वहाँ बैठे थे, उसके पित को मारने लगे। अभियुक्त कृष्णा गोप और लखन गोप ने उसके पित को टांगी से मारा और अभियुक्त बिनु गोप ने उसे लाठी से मारा। अभियुक्त तेजा गोप (अब मृत) और एक बलदेव गोप (फरार) अन्य को उसके पित की हत्या करने हेतु प्रोत्साहित कर रहे थे चूंकि वह मुकदमें को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने आगे यह साक्ष्य दिया है कि बहुत दिनों से उन दोनों के बीच मुकदमा लिम्बत रहने के कारण उसके पित गणेश भुईयां की हत्या